न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपवत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. प्रवीण पुत्र बालू, जाति नट 2. रमीला पत्नी बालू जाति नट 3. फलवती पत्नी बालू जाति नट 4. रामश्री पत्नी सुलतान, जाति नट, निवासियान मानपुर, तहसील आबूरोड		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 26/2019

दिनांकः–17–02–2020

आदेश

यहकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा गांव मानपुर पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड में प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 04.08 बिस्वा स्थित है। प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारान उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन कर रहे है। उपरोक्त कृषि कार्य पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारान काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि को विकसित करने हेतु रकम की आवश्यकता थी, जिस वजह से बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थीगण अपने खाते से संबंधित नकल राजस्व रेकर्ड से प्राप्त करने हेतु पटवारी महोदय के पास गये तो पटवारी महोदय ने प्रार्थीगण को बताया कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 का नाम प्रवीण पुत्र श्री बालू के स्थान पर प्रवीण पुत्र श्री बाबू प्रार्थी संख्या 02 का नाम फलवती पत्नी श्री बालू के स्थान पर रमीला पत्नी बाबू प्रार्थी संख्या 03 का नाम फलवती पत्नी बालू के स्थान पर फलवती पत्नी बाबू एवं प्रार्थी संख्या 04 का नाम रामश्री पत्नी सुलतान के स्थान पर कामसरी पत्नी सुलतान दर्ज है जिसे सुधरवाना आवश्यक है एवं उपरोक्त सभी नामों की शुद्धि होने पर ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार पटवरी महोदय से प्रार्थीगण को प्रथम बार दिनांक 08.07.2019 को जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 से 04 के वास्तविक नाम क्रमशः प्रवीण पुत्र श्री बालू , रमीला पत्नी श्री बालू , फलवती पत्नी बालू रामश्री पत्नी सुलतान के स्थान पर सहवन से प्रवीण पुत्र बाबू , रमला पत्नी बाबू , फलवती पत्नी बाबू एवं कामसरी पत्नी सुलतान इन्द्राज हो गया है, जो त्रृटि पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता एवं पति तथा प्रार्थी संख्या 04 स्वंय के नाम का गलत इन्द्राज हुआ है जो न्यायालय के आदेश से नहीं किया गया है। यदि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 से 03 के पिता एवं पति के नाम तथा प्रार्थी संख्या 04 स्वंय का नाम का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगे एवं उक्त कृषि भूमि को विकसित कर कृषि कार्य नहीं कर सकेगे, जिससे उसके विधिक अधिकारो का हनन होगा।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी ग्राम मानपुर के खाता नंबर 103 मे प्रवीण के पिता का नाम बालू के स्थान पर बाबू दर्ज है। फलवती व रमीला के पति का नाम बालू के स्थान पर बाबू दर्ज है। तथा कामसरी पत्नि सुल्तान का सही नाम रामश्री पत्नी सुल्तान है जिसे सही किया जाना है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर जमाबंदी ग्राम मानपुर के खाता नंबर 103 मे प्रवीण के पिता का नाम बालू के स्थान पर बाबू दर्ज है। फलवती व रमीला के पति का नाम बालू के स्थान पर बाबू तथा कामसरी पत्नि सुल्तान का सही नाम रामश्री पत्नी सुल्तान किया जाना सही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा जमाबंदी ग्राम मानपुर के खाता नंबर 103 मे प्रवीण के पिता का नाम बालू के स्थान पर बाबू एवं फलवती व रमीला के पति का नाम बालू के स्थान पर बाबू तथा कामसरी पत्नि सुल्तान का सही नाम रामश्री पत्नी सुल्तान किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17/2/2020 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपवत (सिरोही)

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.03.03 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested